



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-सी.जी.-अ.-02052026-272199
CG-CG-E-02052026-272199

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2082]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अप्रैल 30, 2026/वैशाख 10, 1948

No. 2082]

NEW DELHI, THURSDAY, APRIL 30, 2026/VAISAKHA 10, 1948

रेल मंत्रालय

(दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे)

अधिसूचना

बिलासपुर, 28 अप्रैल, 2026

का.आ. 2163(अ).— केन्द्रीय सरकार, ने रेल अधिनियम, 1989 (1989 का 24), एवं रेलवे (संशोधन) अधिनियम 2008 (2008 का 11) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 20 'क' की उपधारा (1) के अधीन जारी, भारत का राजपत्र, असाधारण भाग (II)], खण्ड 3, उपखण्ड (ii) तारीख 16 सितम्बर, 2024 में प्रकाशित भारत सरकार के रेल मंत्रालय (रेल्वे बोर्ड) की अधिसूचना संख्यांक का. आ. 4199 (अ) तारीख 12 सितम्बर, 2024 (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिसूचना कहा गया है, द्वारा उक्त अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि को, महाराष्ट्र राज्य के नागपूर, भंडारा, चंद्रपूर जिले में विशेष रेल परियोजना अर्थात् नागभिड - नागपूर ब्रॉड गेज परियोजना (106 कि.मी.) प्रस्तावित गेज रूपांतर (बीजी) करण के निष्पादन, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए अपेक्षित है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के आशय की घोषणा की थी ।

और, उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 20 क की उपधारा (4) के अधीन दैनिक मजदुर टाइम्स पत्रों अर्थात् मे "दैनिक नेशनल सदेश नागपुर" तारीख 12 नोव्हेंबर, 2025 और "दैनिक मंजुर नागपुर" में तारीख 12 नोव्हेंबर, 2025 को प्रकाशित किया गया था ।

और, कोई आक्षेप प्राप्त नहीं हुए थे और उन पर विचार किया गया है तथा सक्षम अधिकारी द्वारा तदनुसार आदेश पारित कर दिये गये है ।

और, उक्त अधिनियम की धारा 20(ड:) की उपधारा (1) के अनुसरण में सक्षम प्राधिकारी ने अपनी रिपोर्ट केंद्रीय सरकार को प्रस्तुत कर दी है ।

अतः अब केंद्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी से उक्त रिपोर्ट के प्राप्त होने पर और उक्त अधिनियम की धारा 20(ड:) की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जित की जाएगी ।

और यह कि केंद्रीय सरकार उक्त अधिनियम कि धारा 20(ड:) कि उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशित होने पर इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विलंगमो से मुक्त होकर केंद्रीय सरकार में अत्यांकित रूप से निहित हो जाएगी ।

अनुसूची

महाराष्ट्र राज्य के नागपुर जिले में तालुका उमरेड अंतर्गत निचे दिये गये गाव के लिए, सक्षम प्राधिकारी अर्थात उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, उमरेड जिला नागपुर के अधीन विशेष रेल परियोजना अर्थात नागभिड – नागपुर ब्रॉड गेज परियोजना (106 कि.मी.) करने के लिए अर्जित की जाने वाली भूमि का संरचना या उसके रहित संक्षिप्त विवरण ।

अ.क.	भूसंपादन प्रकरण कमांक	जिले का नाम	तहसिल का नाम	गाव का नाम	7 / 12 अनुसार भूधारक का नाम	सर्वे नं.	भूधारणा पध्दती	7 / 12 अनुसार कुल क्षेत्र (हे.आर/ चौ.मि.)	अधिग्रहण क्षेत्र (हे. आर / चौ.मि.)
1	46/अ-65/2023-2024	नागपुर	उमरेड	परसोडी	केशवराव नारायण चिचघरे	17	1	0.34	0.0330
							कुल	0.34	0.0330

[फा. सं. सी.ए.ओ/सी./बी.एस.पी./एम.आर.आई.डी.सी.एल./नागपुर – नागभीड/नागपुर जिला/20ड]

मुदित भटनागर, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी निर्माण

MINISTRY OF RAILWAYS

(South East Central Railway)

NOTIFICATION

Bilaspur, the 28th April, 2026

S.O. 2163(E).— Whereas, by the notification of the Government of India, in the Ministry of Railways (Railway Board), number, S.O 4199 (E) dated the 16th September, 2025 published in Gazette of India, Extraordinary, Part II, section 3 Sub-section (ii), dated the 12th September, 2025 (hereinafter referred to as the said notification) and issued under sub-section (1) of section 20 A of the Railways Act, 1989 (24 of 1989) and Railways (Amendment) Act 2008 (11 of 2008) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declares its intention to acquire the land specified in the schedule annexed to the said notification for the purpose of execution, maintenance, management and operation of Special Railway Project, namely Nagbhir - Nagpur Gauge Conversion Project (106 Km) in the District of Nagpur, Bhandara, Chandrapur in the State of Maharashtra.

And whereas, the substance of the said notification was published in daily newspapers namely “Dainik Manjur Nagpur” Dated 12th November, 2025 and “Dainik National Sandesh” Dated 12th November, 2025 under sub section (4) of section 20A of the said Act;

And whereas, no objections were received and the same have been considered by the competent Authority accordingly orders have been passed;

And whereas, in pursuance of sub-section 20 E of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now therefore, upon receipt of the report of the Competent Authority and in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 20 E of the said Act, the Central Government hereby declares that the lands specified in the schedule annexed hereto shall be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 20 E of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the official Gazette; the land specified in the schedule annexed hereto shall vest absolutely in the Central government free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structures, falling within the Special Railway Project namely, Nagbhir - Nagpur Gauge Conversion Project (106 Km) in following villages in Persodi Taluka, Umred District Nagpur under Competent Authority for Sub-Divisional Officer and Land Acquisition Officer, Umred district Nagpur in the State of Maharashtra.

Sr. No.	Land Acquisition Case No.	Name of District	Name of Taluka	Name of Village	Land owner's name as per 7/12	Survey Number	Land holding method	Total area as per 7/12 (H.R./Sq.M.)	Acquisition Area in (H.R./Sq.M)
1	46/A-65/2023-2024	Nagpur	Umred	Parsodi	Keshavrao Narayan Chichghare	17	1	0.34	0.0330
						Total :-		0.34	0.0330

[F. No. CAO/C/BSP/MRIDCL/NGP-NAB/Nagpur Dist/20E]

MUDIT BHATNAGAR, Chief Administrative Officer (Con)